

प्रारूप जीएसटीआर-2ख
स्वतः प्रारूपित आईटीसी विवरण

(प्रारूप जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर और आईसगेट से प्राप्त आयात डाटा)

वर्ष	
माह	

1.	जीएसटीआईएन											
2.	(क)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम										
2.	(ख)	व्यापार नाम, यदि कोई हो										
2.	(ग)	सृजित किये जाने की तारीख	दिन/महीना/वर्ष समय HH:MM									

3. आईटीसी का उपलब्ध सारांश
(सभी भागों में राशि रूपये में)

क्रम सं.	शीर्षक	जीएसटीआर एकीकृत केन्द्रीय राज्य/संघ राज्य कर (रु.)	उपकर (रु.)	परामर्श
		3ख सारणी कर (रु.)	कर (रु.)	
क्रेडिट जिसे प्रारूप जीएसटीआर-3ख के तहत लिया जा सकता है				
भाग क उपलब्ध आईटीसी - प्रारूप जीएसटीआर-3ख के संबंधित शीर्षक में क्रेडिट का दावा किया जा सकता है				
I	अन्य सभी आईटीसी-रिवर्स चार्ज से भिन्न अन्य आपूर्तियां, जो कि पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा की गयी हों	4(क)(5)		यदि यह धनात्मक (positive) है तो जीएसटीआर-3ख को सारणी 4(क)(5) के अंतर्गत क्रेडिट प्राप्त की जा सकती है। यदि यह ऋणात्मक (negative) है तो

								जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख)(2) के अंतर्गत क्रेडिट को वापस कर दिया जाएगा।
ब्यौरा	बी2बी- बीजक							
	बी2बी-डेविट नोट्स							
	बी2बी- बीजक (संशोधन)							
	बी2बी-डेविट नोट्स (संशोधन)							
II	आईएसडी से आंतरिक आपूर्तियां	4(क)(4)					यदि यह धनात्मक (positive) है तो जीएसटीआर-3ख को सारणी 4(क)(4) के अंतर्गत क्रेडिट प्राप्त की जा सकती है। यदि यह ऋणात्मक (negative) है तो जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख)(2) के अंतर्गत क्रेडिट को वापस कर दिया जाएगा।	
ब्यौरा	आई एस डी--- बीजक							
	आई एस डी--- बीजक (संशोधन)							
III	रिवर्स चार्ज के लिए दायी (liable) आवक प्रदाय	3.1(घ)4(क)(3)					इन आपूर्तियों को कर के भुगतान के लिए जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) में घोषित करना होगा। क्रेडिट को कर का भुगतान करने पर जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(3) के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है।	
ब्यौरा	बी2बी- बीजक							
	बी2बी-डेविट नोट्स							

	बी2बी- बीजक (संशोधन)							
	बी2बी-डेविट नोट्स (संशोधन)							
IV	माल का आयात	4(क)(1)						यदि यह धनात्मक (positive) है तो क्रेडिट को जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(1) के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है। यदि यह ऋणात्मक (negative) है क्रेडिट को जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख)(2) के अंतर्गत वापस करना होगा।
ब्यौरा	आईएमपीजी-विदेश से माल का आयात							
	आईएमपीजी -(संशोधन)							
	आईएमपीजीएसईजैड-विशेष आर्थिक जोन (एसईजैड) से माल का आयात							
	आईएमपीजीएसईजैड -(संशोधन)							
भाग ख आईटीसी की वापसी- क्रेडिट को जीएसटीआर-3ख के प्रासंगिक शीर्षक में वापस करना होगा।								
I	अन्य	4(ख)(2)						यदि यह धनात्मक (positive) है क्रेडिट को जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख)(2) के अंतर्गत वापस करना होगा। यदि यह ऋणात्मक (negative) है तो क्रेडिट का पुनः दावा किया जा सकता है वशर्ते कि पहले की ऐसी स्थिति में इसको वापस कर दिया गया हो।
ब्यौरा	बी2बी-क्रेडिट नोट्स							
	बी2बी-क्रेडिट नोट्स (संशोधन)							

बी2बी-क्रेडिट नोट्स (रिवर्स चार्ज)							
बी2बी-क्रेडिट नोट्स (रिवर्स चार्ज) (संशोधन)							
आईएसडी- क्रेडिट नोट्स							
आईएसडी- क्रेडिट नोट्स (संशोधन)							

4. आईटीसी उपलब्ध न होने का संक्षिप्त विवरण

(सभी खण्डों में राशि रु. में)

क्रम सं.	शीर्षक	जीएसटीआर 3ख सारणी	एकीकृत केन्द्रीय कर (रु.) कर (रु.)	राज्य/ संघ राज्य कर (रु.)	उपकर (रु.)	परामर्श	
क्रेडिट जिसे जीएसटीआर-3ख के तहत नहीं लिया जा सकता है							
भाग क आईटीसी उपलब्ध नहीं							
I	अन्य सभी आईटीसी - रिवर्स चार्ज से भिन्न अन्य आपूर्तियां, जो कि पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा की गयी हों		लागू नहीं				ऐसी क्रेडिट को जीएसटीआर-3ख में नहीं लिया जाएगा।
ब्यौरा	बी2बी- बीजक						
	बी2बी-डेविट नोट्स						
	बी2बी- बीजक (संशोधन)						
	बी2बी-डेविट नोट्स (संशोधन)						
II	आईएसडी से आवक प्रदाय		लागू नहीं				ऐसी क्रेडिट को जीएसटीआर-3ख में नहीं लिया जाएगा।
ब्यौरा	आईएसडी--- बीजक						
	आईएसडी---संशोधन-- बीजक						
III	रिवर्स चार्ज के लिए दायी (liable) आवक प्रदाय		3.1(घ)				कर भुगतान के लिए इन आपूर्तियों की घोषणा जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) में की जाएगी। यद्यपि, उस पर क्रेडिट नहीं होगा।
ब्यौरा	बी2बी- बीजक						

	बी2बी-डेविट नोट्स							
	बी2बी- बीजक (संशोधन)							
	बी2बी-डेविट नोट्स (संशोधन)							
भाग ख	आईटीसी की वापसी							
I	अन्य	4(ख)(2)						क्रेडिट को जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख)(2) के अंतर्गत वापस किया जाएगा।
ब्यौरा	बी2बी-क्रेडिट नोट्स							
	बी2बी-क्रेडिट नोट्स (संशोधन)							
	बी2बी-क्रेडिट नोट्स (रिवर्स चार्ज)							
	बी2बी-क्रेडिट नोट्स (रिवर्स चार्ज) (संशोधन)							
	आईएसडी- क्रेडिट नोट्स							
	आईएसडी- क्रेडिट नोट्स (संशोधन)							

निर्देश:

1. प्रयुक्त शब्दावली-

क. आईटीसी – इनपुट टैक्स क्रेडिट

ख. बी2बी – बिजनेस टू बिजनेस

ग. आईएसडी – इनपुट्स सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर

घ. आईएमपीजी – इम्पोर्ट ऑफ गुड्स

ङ. आईएमपीजीएसईजैड – इम्पोर्ट ऑफ गुड्स प्रोम एसईजैड

2. महत्वपूर्ण सलाह:

क) प्ररूप जीएसटीआर -2ख एक ऐसा विवरण है जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने संबंधित प्ररूप जीएसटीआर -1, 5, और 6 में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर तैयार किया जाता है। यह एक अचल विवरण है और एक माह में एक बार उपलब्ध कराया जाएगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने संबंधित प्ररूप जीएसटीआर -1, 5 और 6 में से किसी में भी जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं, उसे संबंधित आपूर्तिकर्ता के फाइलिंग की तारीख के अगले प्ररूप जीएसटीआर -2ख में दर्शाया जाएगा। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वो प्ररूप जीएसटीआर -2B का प्रयोग प्ररूप जीएसटीआर -3B में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिये करें। हालांकि, अतिरिक्त ब्यौरे की स्थिति में, वे संबंधित प्ररूप जीएसटीआर -2क (जिसे वास्तविक समय के आधार अद्यतन किया जाता रहता है) में और अधिक ब्यौरों के लिए देख सकते हैं।

ख) इनपुट टैक्स क्रेडिट को निम्नलिखित स्थितियों में उपलब्ध न हुआ दर्शाया जाएगा:-

i. माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के उन बीजक या डेबिट नोट में, जहां सीजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 16 की उपधारा (4) के प्रावधानों के अनुसार प्राप्तकर्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट का पात्र नहीं होता है।

ii. उन बीजक या डेबिट नोट में, जहां आपूर्तिकर्ता (जीएसटीआईएन) और आपूर्ति का स्थान एक ही राज्य में हो और प्राप्तकर्ता दूसरे राज्य में।

हालांकि ऐसी अन्य स्थितियां भी हो सकती हैं जहां करदाता को इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध न हो पाता हो और उसे सिस्टम द्वारा भी तैयार न किया गया हो। वहां करदाता को अपना आंकलन स्वतः करना चाहिए और ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर -3ख में वापस कर देना चाहिए।

3. यह देखा जाना चाहिये कि प्ररूप जीएसटीआर -2ख में आपके संबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भरे गये सभी जीएसटीआर-1S, 5S और 6S, हो सकते हैं, जो सामान्यतः संबंधित आपूर्तिकर्ता के द्वारा चुने गए विकल्प (मासिक या त्रैमासिक) के आधार पर दो लगातार जीएसटीआर-1 या आईएफएफ भरने की तारीख के बीच भरे गये हैं। जिस तारीख से संबंधित डाटा लिये गए हों उसे सीजीएसटी नियम में उल्लिखित है और ऑनलाइन पोर्टल पर “सलाह देखें” के अंतर्गत उपलब्ध करा दिया जाता है। उदाहरणार्थ फरवरी माह के जीएसटीआर-2ख में वे सभी दस्तावेज होंगे जो कि उन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भरे गये होंगे जिन्होंने अपने जीएसटीआर-1 को मासिक आधार पर भरने का विकल्प चुना होगा, जो कि 12 फरवरी के 00:00 बजे से लेकर 11 मार्च के 23:59 बजे तक का होगा।

4. इसमें आइसगेट सिस्टम से प्राप्त माल के आयात से संबंधित जानकारी भी शामिल होगी जिसमें विशेष आर्थिक जोन इकाईयों से प्राप्त आयात संबंधी आंकड़े भी शामिल होंगे।

5. यह नोट किया जाना चाहिए कि सेवाओं के आयात पर लगने वाले प्रतिवर्ती प्रदाय कर का प्रत्यय का ब्यौरा इस विवरण में शामिल नहीं किया जाता है और इसे करदाताओं के द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-3 ख के सारणी 4(क)(2) में दर्शाया जाता रहेगा।

6. सारणी 3 में उस आईटीसी का संक्षिप्त विवरण होगा जो प्ररूप जीएसटीआर-2ख में उत्पन्न करने की तारीख तक उपलब्ध होगा। इसे निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया गया है।

क. भाग क में उस क्रेडिट का संक्षिप्त विवरण होगा जिसे प्ररूप जीएसटीआर-3 ख की संबंधित सारणी में प्राप्त किया गया हो।

ख. भाग ख में उस क्रेडिट का संक्षिप्त विवरण होगा जिसे प्ररूप जीएसटीआर-3 ख की संबंधित सारणी में वापस किया जाना है।

7. सारणी 4 में उस आईटीसी का संक्षिप्त विवरण होगा जो प्ररूप जीएसटीआर-2ख में उत्पन्न करने की तारीख तक प्राप्त न किया गया हो। इस सारणी में उपलब्ध क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर-3 ख में क्रेडिट के रूप में प्राप्त नहीं किया जाएगा। परंतु रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करने का दायित्व और क्रेडिट नोट्स की प्राप्ति पर क्रेडिट को वापस करने का दायित्व ऐसे आपूर्तिकर्ताओं पर बना रहेगा।

8. करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित रखें कि प्ररूप जीएसटीआर-2ख में उत्पन्न किया गया डाटा उनके रिकॉर्ड और बही खाते से मेल खाता हो। करदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि-

क. किसी भी परिस्थिति में किसी भी दस्तावेज पर क्रेडिट दोबारा न लें।

ख. जहां भी जरूरी हो वहाँ क्रेडिट को वापस कर दिया जाए।

ग. रिवर्स चार्ज आधार पर कर का भुगतान अवश्य किया जाए।

9. बीजक, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, आईएसडी बीजक, आईएसडी क्रेडिट और डेबिट नोट्स, प्रविष्टि के बिल का ब्यौरा इत्यादि ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा और इसको डाउनलोड किये जाने की सुविधा भी होगी।

10. ऐसी भी स्थिति हो सकती है जहां कर की लागू दर का प्रतिशत भी सरकार के द्वारा अधिसूचित किया जाए। जहां ऐसी दर लागू हो वहां बीजक/दस्तावेजों में एक अलग से कॉलम की व्यवस्था होगी।

11. सारणीवार निर्देश

सारणी सं. तथा शीर्षक

निर्देश

<p>सारणी 3, भाग क, खण्ड I, अन्य सभी आईटीसी - रिवर्स चार्ज से भिन्न आपूर्तियां जो कि पंजीकृत व्यक्तियों के द्वारा की गई हों</p>	<ol style="list-style-type: none"> i. इस खण्ड में उन आपूर्तियों का ब्यौरा होगा (उनसे भिन्न जिनपर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाना हो) जिनकी घोषणा कर दी गयी हो और आपके आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा प्ररूप जीएसटीआर -1 और 5 में जिन्हें दायर कर दिया गया हो। ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध हों। iii. ऋणात्मक क्रेडिट, यदि कोई हो तो, बी2बी, बीजक और डेविट नोट्स में संशोधन से हो सकती है। ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर -3ख की सारणी 4(ख)(2) में वापस कर दिया जाएगा।
<p>सारणी 3, भाग क, खण्ड II आईएसडी से आवक प्रदाय</p>	<ol style="list-style-type: none"> i. इस खण्ड में उन आपूर्तियों का ब्यौरा दिया गया होता है जिसको कि किसी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा घोषित किया गया है और उसे प्ररूप जीएसटीआर -6 में दायर किया गया हो। ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध हों। iii. ऋणात्मक क्रेडिट, यदि कोई हो तो, आईएसडी संशोधन-बीजक में संशोधन से हो सकती है। ऐसी क्रेडिट प्ररूप जीएसटीआर -3ख की सारणी 4(ख)(2) में वापस कर दिया जाएगा।
<p>सारणी 3, भाग क, खण्ड III आवक प्रदाय जो कि रिवर्स चार्ज के प्रति दायी हो</p>	<ol style="list-style-type: none"> i. इस खण्ड में वे सभी आपूर्तियां आती हैं जिनपर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाता है, जिसकी घोषणा आपके आपूर्तिकर्ता द्वारा की गयी हो और उसे प्ररूप जीएसटीआर -1 में दायर किया गया हो। ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध हों। iii. कर के भुगतान के लिए ऐसी आपूर्तियों की घोषणा प्ररूप जीएसटीआर -3ख की सारणी 3.1(घ) में की जाएगी। कर के भुगतान पर क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर -3ख की सारणी 4(क)(3) के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है।
<p>सारणी 3, भाग क, खण्ड IV माल का आयात</p>	<ol style="list-style-type: none"> i. इस खण्ड में आपके द्वारा भुगतान किये गये उस आईजीएसटी का ब्यौरा होता है जो कि विदेश या एसईजैड इकाईयों/डेवलपर्स से किये गये माल के आयात पर बिल ऑफ एन्ट्री और उसके संशोधन में किया गया हो। इस ब्यौर को आइसगेट सिस्टम से निकटतम वास्तविक समय के आधार पर अद्यतन किया जाता रहता है। ii. इस सारणी में उन आयात से संबंधित डाटा होंगे जो कि आप (जीएसटीआईएन) के द्वारा उस महीने में किया गया हो जिस महीने के लिए प्ररूप जीएसटीआर -2ख को तैयार किया जा रहा हो। iii. आइसगेट की संदर्भ तारीख वह तारीख होगी जिस तारीख से प्राप्तकर्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने का पात्र बनता है। iv. इस सारणी में यह भी बताया गया है कि किन बिल ऑफ एन्ट्री में संशोधन हुआ है। v. यह जानकारी आइसगेट से प्राप्त डाटा के आधार पर सारणी में दी जाती है। कोरियर आयात जैसे कतिपय आयातों से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकती है।
<p>सारणी 3, भाग ख, खण्ड I अन्य</p>	<ol style="list-style-type: none"> i. इस खण्ड में प्राप्त क्रेडिट नोट्स और उसके संशोधन का ब्यौरा होता है जिसकी घोषणा आपके आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई होती है और उसको उसने अपने प्ररूप जीएसटीआर -1 और 5 में किया होता है। ii. ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर -3ख की सारणी 4(ख)(2) के अंतर्गत वापस कर दिया जाएगा। यदि यह मूल्य ऋणात्मक है तो क्रेडिट का पुनः दावा किया जा सकेगा बशर्ते कि उसको पहले किसी स्थिति में वापस कर दिया गया हो।
<p>सारणी 4, भाग क, खण्ड I, अन्य सभी आईटीसी-रिवर्स चार्ज से भिन्न आपूर्तियां जो कि पंजीकृत व्यक्तियों के द्वारा की गई हों</p>	<ol style="list-style-type: none"> i. इस खण्ड में उन आपूर्तियों का ब्यौरा होगा (उनसे भिन्न जिनपर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाना हो) जिनकी घोषणा कर दी गयी हो और आपके आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा प्ररूप जीएसटीआर -1 और 5 में जिन्हें दायर कर दिया गया हो। ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध नहीं होती हों।

	<p>iii. यह केवल सूचना मात्र के लिए है और ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर -3ख में नहीं लिया जाएगा।</p>
<p>सारणी 4, भाग क, खण्ड II आईएसडी की आवक प्रदाय</p>	<p>i. इस खण्ड में उन आपूर्तियों का ब्यौरा दिया गया होता है जिसको कि किसी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा घोषित किया गया है और उसे प्ररूप जीएसटीआर -6 में दायर किया गया हो।</p> <p>ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध नहीं होती हों।</p> <p>iii. यह केवल सूचना मात्र के लिए है और ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर -3ख में नहीं लिया जाएगा।</p>
<p>सारणी 4, भाग क, खण्ड III आवक प्रदाय जो कि रिवर्स चार्ज के प्रति दायी हो</p>	<p>i. इस खण्ड में उन आपूर्तियों का ब्यौरा होता है जो कि रिवर्स चार्ज के प्रति दायी होती हैं, जिनकी घोषणा आपके आपूर्तिकर्ता के द्वारा की गई होती है और उसने उसे अपने प्ररूप जीएसटीआर -1 में दायर किया होता है।</p> <p>ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध नहीं होती हों।</p> <p>iii. कर के भुगतान के लिए ऐसी आपूर्तियों की घोषणा प्ररूप जीएसटीआर -3ख की सारणी 3.1(घ) में की जाएगी। बहरहाल ऐसी आपूर्तियों पर क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगी।</p>
<p>सारणी 4, भाग ख, खण्ड I अन्य</p>	<p>i. इस खण्ड में वे सभी आपूर्तियां आती हैं जिनपर क्रेडिट नोट की पावती एवं संशोधन हो और जिसकी घोषणा आपके आपूर्तिकर्ता द्वारा की गयी हो और उसे प्ररूप जीएसटीआर -1 एवं 5 में दायर किया गया हो।</p> <p>ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध नहीं होती हों।</p> <p>iii. ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर -3ख की सारणी 4(ख)(2) के अंतर्गत वापस कर दिया जाएगा।</p>